क्र. न्यायगुशा/ जाँच रिपोर्ट/ 8703/06
कार्यालय पुलीस अधिक्षक, यवतमाल
तारीख 12/5/2006

प्रति,

मा. सहाय्यक संचालक,
राष्ट्रीय अनुसुचित जनजाती आयोग,
नई दिल्ली.

संदर्भ :- आपके कार्यालयीन पत्र क्रं. महाराष्ट्र / ST -1 / 2006 / Atrocity / Dated 20/2/2006

विषय :- श्री निरंजनभाई मेश्राम अध्यक्ष जिला गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, यवतमाल इन्होने ग्राम निलज पुलीस थाना कलंब जिला यवतमाल यहाँके आदिवासी गोंड समाजके महिलाओने दी हुयी अर्जकी जाँच रिपोर्ट

--00--

उपरोक्त संदर्भांकित विषय अनुसार श्री निरंजनभाई मेश्राम अध्यक्ष यवतमाल जिला गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इन्होने ग्राम निलज पुलीस थाना कलंब जिला यवतमाल यहाँके आदिवासी गोंड समाजके महिलाओंपर उसी गांवके श्री हेमंत साहेबराव ठाकरे (पुलीस पटेल) और अन्य 19 लोगोंके खिलाफ जातीवाचक गालीगलोच करके अपमानीत करके जानरो मारनेकी धमकी के बारेमें दियी हुयी अर्जीकी जाँच उपविभागीय पुलीस अधिकारी, यवतमाल इनकी औरसे की गयी और उन्होने दियी हुयी जाँच रिपोर्ट सहाय्यक संचालक तथा सरकारी अभियोक्ता, यवतमाल इनके द्वारा Scrutiny की गयी है और जाँच रिपोर्ट निम्नलिखीत है।

तारीख 10/8/2005 को ग्राम निलज पुलीस थाना कलंब जिला यवतमाल यहाँकी निवासी श्रीमती पुष्पा नारायण किनाके जाती - गोंड इन्होने पुलीस थाना कलंब में जबानी शिकायत की के उनके साथ (1) श्रीमती सुशिला हनुमान कोडापे (2) श्रीमती सरस्वती पुंडलीक टेकाम दोनो जाती - गोंड मु. ग्राम निलज यह तीन महिलायें तारीख 10/8/2005 रोज शामके समय गाँवके बाहर जानेवाली सडकके बाजुमें संडासके (For Latrin) लिए गयी हुयी थी। उस समय उसी सडकपरसे गाँवके (1) पुरुषोत्तम कदम और (2) प्रभाकर कुटे दोनो जाती - कुणबी यह दोनो मोटर साईकीलसे गाँवके तरफ आ रहे थे। उस वक्त पुरुषोत्तम कदम इसने आदिवासी गोंड समाजपर " गोंडाडगाचे गांडीवर बसल्याशिवाय गोंड सुधरत नाही " ऐसा मराठी भाषामें गंदी गाली दी। इस बातको उपरोक्त महिलाओंने गाँवके पुलीस पटेल हेमंत साहेबराव ठाकरे और अन्य लोग सभी जाती कुणबी इनको बतानेके लिए गयी। तो इन्होने इस बातको गंभीरतासे न लेते हुये उनकी बातकी तरफ अनदेखी की और तुमसे जो होता वो कर लो ऐसा कहाँ। इसके बाद श्रीमती पुष्पा नारायण किनाके इन्होने पुलीस थाना जाकर जबानी रिपोर्ट दी।

श्रीमती पुष्पा नारायण किनाके इन्होने पुलीस थाना कलंब में दी हुयी शिकायतपरसे पुलीस थाना प्रभारी इन्होने शिकायत दर्ज करके चौकशीमें रखी। लेकीन अर्जदार महिलाने पुलीसने तुरंन्त गैरअर्जदार लोगोंके विरुध्द कारवाई न होनेसे दुसरे दिन जिलाधिकारी, यवतमाल इनको पुलीस पटेल और अन्य 19 लोगोंके खिलाफ कारवाई होने हेतू आमरण अनशन करनेका लिखीत अर्जी दी।

इस अर्जी परसे कलम थाना पुलीसने गैरअर्जदार पुरुषोत्तम किसन कदम और अन्य 06 लागोके खिलाफ इस्ते.नं. 261/05 धारा 107,116 (3) Cr.P.C. नुसार प्रतिबंधक कारवाई की है। इस अर्जीकी जाँच के दौरान ऐसा निष्पन्न हुआ के, दिनांक 10/8/2005 रोज घटनाके समय अर्जदार महिला यह सडकके बाजुमें काफी अंतरपर बैठी हुयी थी और गैरअर्जदार यह मोटर साईकीलसे जा रहे थे और उन्होने आपसमें कही हुयी आदिवासी गोंड समाजके बारेमें की गयी गंदी गालीगलोच जीस जगहपर अर्जदार महिला बैठी थी उनको सुनने जाना असंभव है। और गैरअर्जदारने किसीभी व्यक्तीका नाम न लेकर की है। इस वजहसे गुनाह न होनेके बावजुदभी गैरअर्जदार के खिलाफ उपरोक्त प्रतिबंधक कारवाई की गयी है। और गैरअर्जदारके खिलाफ प्रतिबंधक कारवाई होनेसे अर्जदार महिलाओंने अनशन न करनेका पुलीसको लिखीत दिया है।

चौकशी के दौरान ऐसा निष्पन्न होता है के ग्राम निलज में सभी जाती-धर्म के लोग रहते है। उस गाँवमें किसीभी प्रकारका जातीयवाद दिखायी नही देता। लेकीन घटनाके पहले गाँवमे हुये ग्राम पंचायत चुनावके दौरान निर्माण हुये आपसी राजकीय मतभेद, गटबाजी इस कारण अर्जदार महिलाओने गैरअर्जदार लोगोके खिलाफ इस प्रकारकी शिकायत दी है।

इसलीए उपरोक्त जाँच अहवाल उचित कारवाई हेतू सादर है।

(एच. व्ही. देशभ्रतार)
पुलीस अधिक्षक, यवतमाल
(महाराष्ट्र)